

के०सी० मीणा  
भा०व०से०

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०)  
हरियाणा, पंचकूला।

अर्ध सरकारी पत्र क्रमांक:  
दिनांक:

विषय:- Diversion of 0.1785 ha of forest land for access permission for transportation of Mining area at vill khanak under Forest Division and District Bhiwani, Haryana. (Online Proposal No. FP/HR/Approach/146575/2021).

मैं आपका ध्यान इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1609 दिनांक 22.09.2023 की ओर दिलना चाहूंगा जिसमें भारत सरकार द्वारा उनके पत्र दिनांक 26.07.2023 द्वारा मांगी गई सूचना भेजने हेतु लिखा गया था।

भारत सरकार द्वारा सूचना मांगी गई है कि विषयांकित क्षेत्र में एफ०सी०ए० के तहत स्वीकृति के बिना वन भूमि का उपयोग किया जा रहा है जिस सम्बन्ध में दोषी कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्रवाई की Action Taken Report भेजी जाए। परन्तु बड़े ही खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि आप द्वारा वांछित स्पष्ट रिपोर्ट अभी तक इस कार्यालय में नहीं भेजी है।

मैं आपको पुनः स्मरण कराना चाहूंगा कि उक्त प्रस्ताव में निजी ध्यान देते हुए वांछित स्पष्ट रिपोर्ट शीघ्र मुख्य वन संरक्षक की टिप्पणी सहित इस कार्यालय को भिजवाएं ताकि सूचना भारत सरकार को भेजी जा सके।


आपका

  
(के०सी० मीणा)

श्री रोहताश बिस्थल, ह०व०से०  
वन मण्डल अधिकारी, भिवानी।  
पृ०क०:- FCA/2007

दिनांक:- 11/10/2023

एक प्रति मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल, हिसार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ०सी०ए०)  
हरियाणा, पंचकूला।